

न्यायालय—अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी

समक्ष—श्रीमती वंदना राज पांडेय

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 609 / 2014
संस्थित दिनांक—10.09.2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा—

आरक्षी केन्द्र—अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

.....अभियोजन

वि रू द्ध

1. मुस्तफा पिता वजीर मंसूरी,
आयु—70 वर्ष,
2. शमीम पति मुस्तफा मंसूरी,
आयु—65 वर्ष,
3. फिरोज पिता मुस्तफा मंसूरी,
आयु—25 वर्ष,
4. गुलफाम पिता मुस्तफा मंसूरी
आयु—35 वर्ष,
5. रानी उर्फ रूबीना पति गुलफाम मंसूरी,
आयु—32 वर्ष,

सभी निवासी अस्पताल चौक, अंजड़
जिला बड़वानी

.....अभियुक्तगण

अभियोजन द्वारा	— श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ. ।
अभियुक्तगण द्वारा	— श्री एम.जे. शेख अधिवक्ता ।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 22/07/2016 को घोषित)

1. अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 29.12.10 के 3 माह बाद से दिनांक 09.08.14 तक दिन के किसी समय फरियादी सना के साथ अस्पताल चौक अंजड़ में उसके पति और पति के नातेदार होते हुए उससे एक कार, सोने की चैन तथा 5 लाख रुपये की मांग की और नहीं देने पर फरियादिया को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता कारित करने के लिये भा.द.सं. की धारा—498(ए) का अपराध विचारणीय है ।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियुक्त फिरोज सना का पति है तथा शेष अभियुक्तगण फरियादी सना के पति के रिश्तेदार हैं । उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्रकरण चलने के दौरान फरियादी द्वारा अभियुक्तगण के साथ द.प्र.सं. की धारा-320(2) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर राजीनामा करने की अनुमति चाही गयी थी, जो अशमनीय प्रकृति का अपराध होने के कारण उक्त राजीनामा न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है ।

3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.08.14 को फरियादी श्रीमती सना ने थाना अंजड़ में आकर अभियुक्तों के विरुद्ध यह प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध करायी कि उसका विवाह फिरोज के साथ दिनांक 29.12.10 को मुस्लिम रीति रिवाज अनुसार इंदौर में हुआ था, उस विवाह से उसे एक पुत्र अयान जिसकी उम्र डेढ़ वर्ष है । उसके विवाह में उसके पिता ने 10 लाख रुपये खर्च किया था । विवाह के 3 माह बाद से ही उसके पति एवं शेष जो उसके पति के रिश्तेदार हैं ने दहेज में मोटरसायकल की जगह कार और चांदी की दो अंगूठी के बदले सोने की चैन एवं दुकान बड़ी करने के लिये 5 लाख रुपये पिता से लाने के लिये बार-बार कहा, उसने इंदौर जाकर अपने माता-पिता को अभियुक्त की मांग के बारे में बताया, उसके पिता मोहम्मद जाबिर और दूसरे लोगों ने अभियुक्तों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने । मायके वालों के समझाने पर वह वापस ससुराल आ गयी । दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर अभियुक्तों ने उसे कमरे में बंद कर हाथ-मुक्कों से मारपीट की एवं प्रताड़ना की । वह मायके चली गयी, उसके पिता ने अभियुक्तों को बताया कि उसके पास सोने की चैन और 5 लाख रुपये देने की व्यवस्था नहीं है और उसे वापस ससुराल भेज दिया था । दिनांक 09.08.14 को अभियुक्तों ने दहेज की मांग को पूरी नहीं करने पर उसको लात-धूसों से मारपीट की, उसके चाचा ससुर ने उसके माता-पिता को सूचना दी थी और उसके पिताजी अंजड़ आए, उसने थाने पर शिकायत की थी और पुलिस ने उसका मेडिकल-परीक्षण कराया । श्रीमती सना की रिपोर्ट के आधार पर थाना अंजड़ में अपराध क्रमांक 225/14 धारा-498(ए) का दर्ज कर विवेचना की गयी । साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये । अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । नक्शा-मौका बनाया गया । विवाह में दिये गये उपहारों की सुचियां जप्त की गयी तथा विवेचना पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया गया ।

4. उक्त अनुसार अभियुक्तों पर भा.द.सं. की धारा-498(ए) का आरोप लगाये जाने पर अभियुक्तों द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया तथा द.प्र.सं की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्तों का कथन है कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फँसाया गया है, किन्तु बचाव में अभियुक्त ने किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
	क्या अभियुक्तों ने दिनांक 29.12.10 के 3 माह बाद से दिनांक 09.08.14 तक फरियादी सना को उसके निवास स्थान अंजड़ में उसके पति एवं पति के रिश्तेदार होते हुए उससे एक कार, सोने की चैन तथा 5 लाख रुपये की मांग कर मारपीट कर कूरता कारित की ?

-: साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार :-

6. अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में साक्षी फरियादी श्रीमती सना (अ.सा.1), मोहम्मद जाबिर (अ.सा.2) का परीक्षण कराया गया है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण :-

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में साक्षी फरियादी श्रीमती सना (अ.सा.1) ने कोई भी कथन नहीं किया है । साक्षी का केवल इतना कथन है कि दिनांक 09.08.14 को उसके ससुराल वालों ने उसके साथ विवाद किया था, जिसकी रिपोर्ट उसने दिनांक 09.08.14 को की थी और उसके बाद वह उसके पिता के साथ चली गयी थी । उसकी रिपोर्ट प्र.पी.1 की है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने थाना अंजड़ में दहेज मांगने की बात को लेकर प्रताड़ित करने के संबंध में रिपोर्ट लिखायी थी अथवा अभियुक्तगण उसके पिता से मोटरसायकल के एवज में कार और चांदी की दो अंगूठी के बदले में सोने की चैन और दुकान खोलने के लिये 5 लाख रुपये की मांग करते थे । साक्षी ने इस सुझाव से भी स्पष्ट इन्कार किया है कि उक्त मांग पूरी नहीं करने पर अभियुक्तगण उसे कमरे में बंद करके मारपीट करते थे । साक्षी को पुलिस कथन प्र.पी.2 पढ़कर सुनाने एवं समझाने पर भी साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.2 का ए से ए भाग बताने से स्पष्ट इन्कार किया है । फरियादी ने स्वीकार किया है कि उसका अभियुक्तगण से राजीनामा हो गया है, किंतु इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने से वह अभियुक्तों को बचाने के लिये असत्य कथन कर रही है ।

8. बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि विवाह के बाद 2 साल तक अभियुक्तों ने उसे अच्छे से रखा था । यह भी स्वीकार किया है कि उसे दहेज को लेकर प्रताड़ित नहीं किया गया । उसका अपने पति से परिवार से अलग रहने की बात को लेकर विवाद हो गया था, इस बात की रिपोर्ट उसने थाने पर की थी ।

9. साक्षी मोहम्मद जाबिर (अ.सा.2) ने उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में कोई कथन नहीं किया है । साक्षी का यह भी कथन है कि सना के चाचा ससुर ने उसे फोन करके अंजड़ बुलाया था और उसे बताया था कि सना और उसके पति के बीच विवाद हो गया है, तब वह थाना अंजड़ पर सूचना देकर अपनी पुत्री को लेकर इंदौर चला गया था । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि अभियुक्तों द्वारा उसके पुत्री के साथ 5 लाख रुपये, कार एवं सोने की चैन की मांग करने के लिये मारपीट और प्रताड़ित किया जाता था । साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री ने थाने पर रिपोर्ट लिखाई थी । यहां तक कि इस सुझाव से इन्कार किया है कि उक्त रिपोर्ट में अभियुक्तों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने की बात लिखायी थी । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री ने कभी भी उसे अभियुक्तों द्वारा दहेज मांगने

की बात और प्रताड़ित करने की बात नहीं बतायी थी । साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसकी पुत्री मकान लेकर अलग रहना चाहती थी ।

—4—

10. राजीनामा होने के कारण किसी अन्य साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण की फरियादी स्वयं पक्षविरोधी रही है और उसने अभियोजन के मामले का कोई भी समर्थन नहीं किया है तथा यहां तक कि प्रकरण में राजीनामा भी पेश किया गया है, जो अशमनीय प्रकृति का अपराध होने के कारण न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, स्थान एवं समय के मध्य फरियादी सना के पति या पति के रिश्तेदार होते हुए उसके साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर उसे प्रताड़ित किया अथवा उसके साथ क्रूरता कारित की गयी थी ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 'निष्कर्ष' एवं 'दण्डादेश' :-

11. उक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन अपना मामला संदेह से परे अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्णतः प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है । अतः यह न्यायालय अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुए भा.द.वि. की धारा-498(ए) के आरोप से दोषमुक्त घोषित करता है ।

12. अभियुक्तगण के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

13. अभियुक्तगण का द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण-पत्र बनाया जाए ।

14. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति शादी की सी.डी. एवं फोटो बाद अपील अवधि फरियादी को दी जाए, शेष संपत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.